

To, Date: 25-09-2022

Shri Ashok Gehlot, Chief Minister, Rajasthan Shri Hemaram Choudhary, Cabinet Minister Forest Environment And Climate Change Dr. D.N.Pandey, PCCF (HoFF)

Jyot Team: reclaimranakpur@jyot.in

National Board for Wild Life

Memorandum regarding Ranakpur and Muchhala Mahavir Jain Tirth

This is regarding world's renowned Jain Tirths Ranakpur and Muchhala Mahavir, situated in the Aravallis of Rajasthan, which indisputably belong to Shwetambar Murtipujak Chaturvidh Jain Sangh¹ ("Shree Sangh").

Since the last few weeks, Jyot- a Jain religious NGO, is spreading awareness about crucial information regarding these Tirths. It has come to my notice through this, that both the Tirths are included in forest under various forest laws, years ago. Both the tirth complexes have been in existence long before the forest laws came into being. However despite this, the State government did not deem it necessary to keep the tirth complexes out of the forest. Adding to this, the Sheth Anandji Kalyanji Trust ("AKT"), which is only a managing body of these tirths, has unauthorisedly accepted that both the complexes belong to the forest department of the State without taking consent of the entire community. This has deprived Shree Sangh to own its significant and prestigious places of worship.

I wish to say here that, no information was ever passed to Shree Sangh, through any public notice or otherwise, regarding the circumstances of the Tirths in past decades. Further, being a member of Shree Sangh and as a stake holder, I say that I have no consent whatsoever, to the unauthorized acceptance of AKT which is in the manner not enjoined by Shree Sangh. The action of AKT is a breach of trust and is beyond its powers.

Therefore, I kindly request that the assent given by AKT be not considered on behalf of Shree Sangh (the real owner) and accordingly rectification be made in relation to the ownership of Shree Sangh over Ranakpur and Muchhala Mahavir Tirth.

¹In legal terms, Religious Denomination of Shwetamber Murtipujak Jains

CC:

Shri Narendra Modi,

Prime Minister of India
Shri Bhupender Yadav,
Cabinet Minister Forest Environment And Climate Change
Shri Ashwini Kumar Choubey,
Minister of State
Ms. Leena Nandan,
Secretary (EF&CC)
Smt. Sonia Gandhi,
President of the Indian National Congress
Shri Rahul Gandhi,
Chairperson of Indian Youth Congress
Sheth Anandji Kalyanji Trust

Full Name:	
Place:	

Signature:



प्रति,

cc.

हस्ताक्षर:

दिनांक: 25-09-2022

- श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान
- श्री हेमाराम चौधरी, कैबिनेट मंत्री, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
- डॉ. डी.एन.पांडे, PCCF (HoFF)
- नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ
- ज्योत टीम: reclaimranakpur@jyot.in

राणकपुर व मुछाला महावीर जैन तीर्थ के संबंध में ज्ञापन

यह ज्ञापन राजस्थान के अरावली में स्थित विश्व के प्रसिद्ध जैन तीर्थ राणकपुर और मुछाला महावीर के बारे में है, जो निर्विवाद रूप से श्वेतांबर मूर्तिपूजक चतुर्विध जैन संघ¹ ("**श्री संघ**") की मालिकी के अधीन हैं।

पिछले कुछ हफ्तों से, जैन धर्म का एक गैर सरकारी संगठन- ज्योत, इन तीर्थों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए जागरूकता फैला रहा है। इसके माध्यम से पहली बार मेरे जानने में आया है कि दोनों तीर्थों को राज्य सरकार ने वन कानून के तहत सरकारी वन विभाग के अधीन कर लिए है। हालांकि, दोनों तीर्थ वन कानूनों के अस्तित्व में आने से काफी पहले से मौजूद हैं। फिर भी, राज्य सरकार ने दोनों तीर्थों को वन विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना जरूरी नहीं समझा। और तो और, इन तीर्थों का केवल प्रबंधन संभालने वाले जैन संस्थान आनंदजी कल्याणजी ट्रस्ट ("AKT") ने समस्त श्री संघ की सहमित के बिना अनिधकृत रूप से स्वीकार कर लिया है कि दोनों तीर्थ राज्य के वन विभाग के अधीन है। इस स्वीकृति ने श्री संघ को अपने महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित तीर्थों की मालिकी से वंचित कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम से AKT द्वारा श्री संघ को आज तक अंधेरे मे रखा गया।

श्री संघ का सदस्य एवं हिस्सेदार होने के नाते, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दशकों में इन तीर्थों की परिस्थितियों के बारे में सार्वजनिक या अन्य तरीके से श्री संघ को कोई सूचना नहीं दी गई थी। इसके अलावा, AKT द्वारा संघ के अधिकारों का हनन करनेवाली जो अनिधकृत स्वीकृति दी गई है उसमें मेरी कोई सहमित नहीं है। AKT की इस कार्रवाई ने ना सिर्फ विश्वास का भंग किया है बल्कि अपने अधिकारों की मर्यादा का भी उल्लंघन किया है।

अतः मेरा अनुरोध है कि AKT द्वारा दी गई सहमति को श्री संघ(मालिक) की ओर से दी गई सहमति के तौर पर मान्य नहीं किया जाए और तदनुसार राणकपुर और मुछाला महावीर तीर्थ पर श्री संघ के स्वामित्व के संबंध में सुधार लाया जाए।

¹ श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैनों का धार्मिक संप्रदाय (Denomination- कानूनी परिभाषा में)

CC.
श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत
श्री भूपेंद्र यादव, कैबिनेट मंत्री, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
श्री अश्विनी कुमार चौबे, राज्य मंत्री
श्रीमति लीना नंदन, सचिव (EF&CC)
आणंदजी कल्याणजी ट्रस्ट
श्रीमित सोनिया गांधी, प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल काँग्रेस
श्री राहुल गांधी, चैरपर्सन, इंडियन यूथ काँग्रेस

पूरा नामः	
स्थान:	फोन नंबर: